न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री भंवरसिंह पुत्र श्री वृहदसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–धुबाना, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, धुबाना, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही (राज.)
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, धुबाना, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 93/2022

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह देवड़ा, अप्रार्थीगण की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 09 सितम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, धुबाना द्वारा प्रार्थी निगरानीकार के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में जारी नोटिस क्रमांकः2019/अतिक्रमण/62 दिनांक 25–7–2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये।

(3) प्रकरण में दिनांक 29–8–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के मौजा ग्राम धुबाना में पंचायत की आबादी भूमि पर एक कब्जे भोगवटे व उसके स्वामित्व का एक भूखण्ड गांव धुबाना के नवावास में आया हुआ हैं जिस पर प्रार्थी का उसके पिता के समय से पिछले 60 वर्षों से पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है एवं प्रार्थी के पिता के समय से कच्चा केलुपोश का मकान बना हुआ था जो अतिवृष्टि में गिर जाने से एक झोपडानुमा मकान बनाया है जो मवेशियों के बांधने हेतु काम में आता हैं एवं उक्त भूखण्ड पर नीवं तक कुर्सी भरी हुई हैं एवं पशुओं के पानी पीने हेतु ट्यूबवेल खुदवाया हुआ हैं। प्रार्थी के भूखण्ड़ का नाप व चतुदर्शी अनुसार उत्तर दिशा में चेनाराम देवासी का मकान, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में अनोपदासजी की झुपडी (मकान) व दक्षिण में रास्ता है तथा नाप पूर्व–पश्चिम 72 फीट व उत्तर–दक्षिण 51–48 फीट कुल क्षेत्रफल 3564 वर्गफीट है। उक्त वर्णित नाप व चतुर्दशी के भूखण्ड पर प्रार्थी अपने पिता के समय से पिछले 60 वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज होकर निवास करते आ रहे हैं लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा राजनैतिक द्वेषतावश सरकारी बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण होना बताते हुए अतिक्रमण हटाने का जो नोटिस जारी किया हैं जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि सरकारी बिलानाम भूमि नहीं होकर खसरा संख्या 169 व 171 उक्त दोनो नम्बरान की भूमि आबादी भूमि है और आबादी भूमि पर प्रार्थी अपने पिता के समय से पिछले 60 वर्षों से

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निवास करता आ रहा हैं और उक्त आबादी भूमि से बेदखल करने का पंचायत को कोई अधिकार नहीं है एवं यदि अप्रार्थी को अवैध तरीके से बेदखल किया है तो उसके आधार पर अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिये हुए है कि पिछले 50 वर्षों के पुराने कब्जो का नियमन कर पट्टा विलेख जारी किया जावें। उसके बावजूद अप्रार्थीगण राजनैतिक दुर्भावना से उक्त भूमि का पट्टा विलेख प्रार्थी के नाम जारी नहीं कर रहे है, जबकि प्रार्थी कानूनन पट्टा विलेख जारी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी जिस भूमि पर काबिज है उसके आस पास पूरी आबादी बसी हुई है और उक्त भूमि आबादी भूमि है और उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा अपने पशुओं के पानी के लिए ट्यूबवेल खुदवाया हुआ है एवं ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं सरपंच द्वारा जारी किया हुआ है। जिसमें उन्होनें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं उसमें पडौसीयों के बीच प्रार्थी का मकान आया हुआ है एवं आबादी भूमि होने से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत, धुबाना द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की भूमि पर बने कच्चे आवासीय गृहों का पट्टा विलेख जारी करवाने हेतु पत्रावली रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को प्रेषित की गई जो पत्रावली अप्रार्थीगण के समक्ष विचाराधीन है तथा अप्रार्थीगण स्वयं द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया उसमें वर्णित चतुर्दशी का मकान स्वयं प्रार्थी का होना बताया है एवं जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन जारी किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत् नोटिस जारी किया है जो अपने आपमें विरोधाभासी है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, धुबाना के सरपंच ने प्रार्थी से राजनैतिक द्वेषभावना के कारण नोटिस प्रेषित किया हैं। जबकि प्रार्थी के मकान के आस पास पूरी आबादी बसी हुई हैं एवं प्रार्थी के पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत को प्रार्थी के हक में पट्टा विलेख जारी करना चाहिए था। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों में संशोधन के बाद राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत दिनांक 31—12—2016 तक के पुराने गृहो का नियमन कर पट्टा विलेख जारी करने के प्रावधान है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को प्रार्थी को बेदखल करने का कोई हक अधिकार नहीं है, बल्कि उक्त नियम के अनुसार प्रार्थी के हक में विधिवत् रूप से पट्टा विलेख जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, धुबाना द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांक 62 दिनांक 25—7—2019 को निरस्त करके राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत प्रार्थी के हक में पट्टा विलेख जारी करने हेतु ग्राम पंचायत, धुबाना को निर्देशित किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह देवड़ा ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी का मौजा गांव धुबाना में पंचायत की आबादी भूमि पर एक कब्जे भोगवटे व उसके स्वामित्व का एक भूखण्ड गांव धुबाना के नवावास में आने तथा उसके पिता के समय से पिछले 60 वर्षों से पुश्तैनी कब्जा होने का कथन गलत है, बल्कि हकीकत यह है कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत की गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि है जिस पर प्रार्थी ने बिना इजाजत के अतिक्रमण कर कांटो की बाड की थी, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06—06—2019 को प्रार्थी को नोटिस जारी कर उक्त गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज होने पर उसे ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवाने को कहा तथा उक्त दस्तावेज तीन दिवस में उपलब्ध नहीं करवाने पर उक्त अवैध

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही अमल में लाने का कथन किया था। जिस पर प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के उक्त नोटिस का न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया गया था न ही उक्त अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाये थे। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20--06--2019 को अटल सेवा केन्द्र धुबाना में बैठक आयोजित कर प्रार्थी के अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका दिनांक 22--06--2019 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। उसके पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा पुलिस जाब्ता के प्रार्थी द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर हटाया गया था, लेकिन प्रार्थी द्वारा पुनः उक्त गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने पर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25--07--2019 को प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के उक्त भूमि पर निर्माण करवाया है, जो अवैध है। प्रार्थी ने बदनियति पूर्वक ग्राम पंचायत धुबाना की गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। यदि उक्त गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि प्रार्थी के पिछले 60 वर्षों से कब्जे, स्वामित्व की भूमि रही होती तो प्रार्थी के उक्त भूमि के सम्बन्ध दस्तावेज अवश्य होते, जबकि प्रार्थी के उक्त गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने बाबत जारी किया गया नोटिस विधि सम्मत है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ किसी तरह की कोई राजनैतिक द्वेषता नहीं है वरन् प्रार्थी ने ग्राम पंचायत की गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जो गलत है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने का अप्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षों के पुराने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, जिससे प्रार्थी को उक्त गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि के सम्बन्ध में नियमन किया जाकर पट्टा विलेख जारी नहीं किया जा सकता है। इस कारण, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन विधि में परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया था, जिसे हटाये जाने के उपरान्त भी बार--बार प्रार्थी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा समय--समय पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने बाबत नोटिस व कार्यवाही की जाती रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से उक्त भूमि पर बिना ग्राम पंचायत की इजाजत के ट्यूबवेल खुदाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कभी नहीं की है। उक्त भूमि गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि है, उक्त भूमि आबादी भूमि नहीं है, जिससे प्रार्थी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना किसी भी रूप से सम्भव नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की ओर से दिया गया, नोटिस विधि सम्मत है, जिसकी पालना अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से करवायी जानी आवश्यक है, जिससे प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन विधि में परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की भूमि पर बने कच्चे आवासीय गृहो का पट्टा विलेख जारी करवाने हेतु पत्रावली रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को प्रेषित नही की गई है व न ही ग्राम पंचायत में जमा करवाई गई है। उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कभी विद्युत कनेक्शन दिये जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा आधिपत्य नहीं रहा है, न ही प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध कराया है। गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर पुराना कब्जा, आधिपत्य सिद्ध नहीं होता है, जिससे उक्त गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि का नियमन कर प्रार्थी के पक्ष में पट्टा विलेख जारी किया जाना किसी भी रूप से

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सम्भव नहीं है तथा उक्त गायों की चौपाल व पंचायत की सार्वजनिक भूमि का नियमन कर पटटा विलेख जारी करना विधि विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, शिवगंज के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी०, सपठित धारा 151 सी०पी०सी० का प्रस्तुत किया था जिसके प्रार्थना पत्र संख्या 06/2020 है, लेकिन माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही को विधि सम्मत मानते हुए तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को कुटरचित दस्तावेज मानते हुए प्रार्थी के आवेदन को न्यायहित में खारिज किया गया था। अतः प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, ध्रुबाना द्वारा प्रार्थी निगरानीकार भंवर सिंह के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में नोटिस क्रमांक 62 दिनांक 25–7–2019 को इस आशय का जारी किया गया है कि "प्रार्थी द्वारा पंचायत की सरकारी भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को दिनांक 16–7–2019 को हटाया गया, परन्तु इनके (प्रार्थी) द्वारा पुनः उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर कांटों की बाड की है।"

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत, ध्रुबाना के तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र व वर्ष 2025 के विद्युत बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है व मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गये। हालांकि ग्राम पंचायत, ध्रुबाना द्वारा जारी उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर क्रमांक व दिनांक अंकित नही है, लेकिन मौके के फोटोग्राफस् के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूखण्ड़ के मौके पर बाड की हुई है व नीवं लेवल तक चार दिवारी बनी हुई है। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से जबाव में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, ध्रुबाना द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20–6–2019 में पारित प्रस्ताव संख्या 01 की पालना में प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण करने के संबंध में नोटिस जारी करके दिनांक 16–7–2019 को ग्राम पंचायत, ध्रुबाना द्वारा प्रार्थी भंवर सिंह का अतिक्रमण/कांटो की बाड को हटाया गया था।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, ध्रुबाना द्वारा प्रार्थी का अतिक्रमण हटाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु जो नोटिस क्रमांक 34 दिनांक 06–6–2019 को जारी किया गया है उस नोटिस पर प्रार्थी भंवर सिंह द्वारा नोटिस लेने से मना करने की रिपोर्ट अंकित है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, ध्रुबाना द्वारा प्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस तो जारी किया गया है लेकिन उसके बाद प्रार्थी को सुनवाई हेतु दुबारा कोई नोटिस जारी नही किया है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, ध्रुबाना द्वारा जारी उक्त नोटिस क्रमांक 34 दिनांक 06–6–2019 में प्रार्थी द्वारा गोचर भूमि में अतिक्रमण करना दर्शाया है व प्रश्नगत नोटिस दिनांक 25–7–2019 में प्रार्थी द्वारा पंचायत की सरकारी भूमि पर पुनः अतिक्रमण करना अंकित किया है। जबकि प्रार्थी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी व पटवारी हल्का ध्रुबाना की रिपोर्ट दिनांक 01–8–2024 की छाया प्रति के अनुसार ग्राम ध्रुबाना के खसरा संख्या 169 रकबा 3–05 बीघा किस्म आबादी भूमि है जिस पर भंवरसिंह पुत्र वरदसिंह का प्लॉट होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण ग्राम पंचायत, ध्रुबाना को मौके व रेकर्ड की जांच करने व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दते हुए विधि अनुरुप कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, धुबाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुरुप कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही